

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

एफ 5/अभि./सीटीएडी/275(1) गो. गुरु. ज. वि. छात्रावास / 18-19/ दिनांक : 25/11/19

परियोजना अधिकारी,

5414-28

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,

बांसवाडा।

विषय : गोविंद गुरु जनजाती विश्वविद्यालय, बांसवाडा में अध्ययनरत जनजाति छात्र-छात्राओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु पृथक-पृथक दो छात्रावास निर्माण (बालक एवं बालिका) की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय पत्रांक 8855-70 दिनांक 16.03.2018 द्वारा गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय, बांसवाडा में अध्ययनरत जनजाति छात्र-छात्राओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु पृथक-पृथक दो छात्रावास निर्माण (बालक एवं बालिका) प्रशासनिक स्वीकृति राशि रु. 8.00 करोड़ की जारी की गई।

कार्यकारी एजेन्सी से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने से निम्नलिखित तालिका के कॉलम संख्या-4 में अंकित राशि की वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है।

कार्यकारी एजेन्सी - राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लि.

(राशि लाख रु. में)

क्र.स.	कार्य का नाम	तकनीकी स्वीकृति	
		क्र/दि.	राशि
1	2	3	4
1	गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय, बांसवाडा (बालक)	CPM/2018-19	400.00
2	गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय, बांसवाडा (बालिका)	47/21.12.2018	400.00
	योग		800.00

उपरोक्त कार्य पर राशि का व्यय संविधान की धारा 275(1) मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या-25/2018-19 जयपुर दिनांक 09.08.2018 द्वारा Support for infrastructure 1 hostel for Boy and 1 for Girls Capacity 100 students per hostel in Govind Guru Tribal University, Banswara राशि रु. 200.00 लाख (प्रथम किश्त) में से होगा। यह राशि आयुक्तालय के निजी निक्षेप खाते में उपलब्ध है।

शर्तें-

- यदि कोई कार्य अन्य किसी स्रोत से पूर्व में स्वीकृत हो गया हो तो अविलम्ब सूचित करें। यदि दोहरा व्यय होता है तो इसकी जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की रहेगी।
- छात्रावास का निर्माण आयुक्तालय द्वारा अनुमोदित ड्राईंग अनुसार किया जावे।
- कार्य प्रारंभ करने से पूर्व ले-आउट प्लान का पीओटी कार्यालय के तकनीकी अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर कार्य प्रारंभ करावे।
- राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012, संशोधन 2013 सामान्य लेखा एवं वित्तीय नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन किया जावे।
- राशि का उपयोग गुणवत्तापूर्वक किया जावे। स्वीकृत कार्यों का third party inspection समय-समय पर करवाया जायेगा। inspection के समय आवश्यक सूचनाएं कार्यकारी एजेन्सी द्वारा निरीक्षण दल को उपलब्ध करवाई जावेगी। निरीक्षण में पाई गई कमियों को दुरस्त/ठीक करने की जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की होगी।
- कार्य पूर्ण होने पर उपयोगिता व कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र के साथ बचत राशि लौटाई जावे।
- कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे एवं स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर soft copy में comm.tad@gmail.com पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करावे।

भवदीय

(भवानी सिंह देशा) I.A.S

आयुक्त

एफ 5/अभि./सीटीएडी/275(1) गो.गु.ज.वि. बांसवाडा/18-19/ दिनांक : 25/11/19
 प्रतिलिपि- 5414-28

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. कुलपति, गोविन्द गुरु जनजाति विश्वविद्यालय, बांसवाडा।
5. जिला कलक्टर, बांसवाडा।
6. प्रबंध निदेशक/महाप्रबंधक, राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लि. सेतु भवन झालाना डूंगरी के सामने जयपुर-आगरा बाईपास जयपुर 302004।
7. कुल सचिव, गोविन्द गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाडा।
8. परियोजना निदेशक, राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लि. उदयपुर।
9. परियोजना निदेशक राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लि. बांसवाडा।
10. वित्तीय सलाहकार कार्यालय हाजा शासन की स्वीकृति संख्या-25/2018-19 जयपुर दिनांक 09.08.2018 द्वारा Support for infrastructure 1 hostel for Boy and 1 for Girls Capacity 100 students per hostel in Govind Guru Tribal University, Banswara राशि रु. 200.00 लाख (प्रथम किस्त) में से राशि रु. 200.00 लाख परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, बांसवाडा को हस्तांतरित करे।
11. निदेशक, मोनिटरिंग कार्यालय हाजा।
12. कम्प्यूटर शाखा कार्यालय हाजा।
13. गार्ड फाईल।

आयुक्त
 जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
 उदयपुर (राज.)

1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.) PABX: 2428721- 24 फेक्स : 0294-2428721
 ई-मेल : comm.tad@gmail.com., Website www.tad.rajasthan.gov.in